प्रारंभिक परीक्षा

ब्लड मनी(Blood Money)

संदर्भ

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पांच वर्षीय बच्चे की लापरवाही से मौत के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया और कहा कि कोई भी सभ्य समाज **'ब्लड मनी'** को मंजूरी नहीं दे सकता।

'ब्लड मनी' क्या है?

- **इस्लामी शरिया कानून में इसे दीया के नाम से जाना जाता है, इसमें अपराधी द्वारा पीड़ित या उसके परिवार को दिया जाने वाला मुआवजा शामिल होता है।**
- **उद्देश्य**: जीवन का मौद्रिक मूल्य निर्धारित करने के बजाय पीड़ित परिवार की पीड़ा और आय की संभावित हानि को कम करना।
- **प्रयोज्यता**:
    - अनजाने में की गई हत्या या गैर इरादतन हत्या के मामलों में आम।
    - इसका प्रयोग जानबूझकर हत्या के मामलों में भी किया जाता है, जहां पीड़ित का परिवार **क़िसास (प्रतिशोध)** के बजाय सुलह का विकल्प चुनता है।
- **राज्य की भागीदारी**: सुलह के बाद भी, राज्य या समुदाय के पास अतिरिक्त दंड लगाने का अधिकार बना रहता है।

इस्लामी देशों में समकालीन अनुप्रयोग -

- **सऊदी अरब:** सड़क दुर्घटनाओं और कार्यस्थल की घटनाओं में इसका इस्तेमाल होता है। शरिया अदालतें मुआवज़ा तय करती हैं, जबकि पुलिस ज़िम्मेदारी तय करती है।
- **ईरान**: मुआवज़ा लिंग और धर्म के अनुसार अलग-अलग होता है। महिलाओं का मुआवज़ा पुरुषों के मुआवज़े का आधा है।
- **यमन**: मुआवजे के लिए पक्षों द्वारा आम सहमति बनाई जा सकती है और मुआवजे की निष्पक्षता पर न्यायिक निगरानी हो सकती है।

ब्लड मनी जैसी ऐतिहासिक प्रथाएँ -

- **आयरलैंड:** 7वीं शताब्दी ईस्वी के ब्रेहोन कानून के तहत एराइक (शरीर मूल्य) और लॉग एनएनेच (सम्मान मूल्य) की प्रणाली।
- **वेल्स**: **गलानास** - पीड़ित की स्थिति के आधार पर मुआवजा निर्धारित किया जाएगा।
- **जर्मनी: वेर्गेल्ड** - प्रारंभिक मध्ययुगीन जर्मनी में औपचारिक रूप दिया गया।

'ब्लड मनी' पर भारत का रुख -

- भारत की कानूनी प्रणाली में 'ब्लड मनी' के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है।
- **तुलनीय अवधारणा**:
    - **प्ली बार्गेनिंग,** जिसे **आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2005** के माध्यम से पेश किया गया।
    - यह प्रतिवादी को कम गंभीर आरोपों के लिए दोषी ठहरने या रियायतों के बदले में सज़ा कम कराने की अनुमति देता है।
    - **प्ली बार्गेनिंग की सीमाएँ:**
        - केवल उन अपराधों पर लागू होती है जिनमें 7 वर्षों से कम की सजा हो।
        - यह महिलाओं, बच्चों के विरुद्ध अपराधों, जघन्य अपराधों या सामाजिक-आर्थिक अपराधों पर लागू नहीं होती।
        - पीड़ितों को धारा 265E के तहत मुआवज़ा मिल सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

मनसा देवी मंदिर

संदर्भ

हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के पास हुई एक दुखद भगदड़ में आठ लोगों की जान चली गई और 28 अन्य घायल हो गए।

मनसा देवी मंदिर के बारे में -

- **मनसा देवी मंदिर एक प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थस्थल है, जो शक्ति (माँ दुर्गा) के एक स्वरूप देवी मनसा को समर्पित है।**
- **यह भारत के उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार में स्थित है।**
- यह मंदिर बिल्व पर्वत पर स्थित है, जो शिवालिक पहाड़ियों का एक भाग है, जो हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है।
- **बिल्व तीर्थ के नाम से भी जाना जाने वाला यह मंदिर हरिद्वार के पंच तीर्थों में से एक है।**
- यह उत्तर भारत में प्रचलित शक्ति पूजा की सदियों पुरानी परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है।
- **वर्तमान मुख्य संरचना का निर्माण 1811 और 1815 के बीच मनीमाजरा के महाराजा गोपाल सिंह ने करवाया था।**
- मंदिर परिसर 100 एकड़ में फैला है और इसमें पारंपरिक उत्तर भारतीय वास्तुकला का प्रदर्शन किया गया है।
- मनसा देवी के अलावा, मंदिर में उनकी बहन, देवी चंडी देवी की भी एक मूर्ति है, जो इसे एक दोहरा तीर्थस्थल बनाती है।

स्रोत: इंडियाटीवीन्यूज़

उधम सिंह

संदर्भ

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत के संघर्ष में **उधम सिंह के बलिदान की याद में 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह शहादत दिवस 2025 मनाया गया।**

उधम सिंह कौन थे?

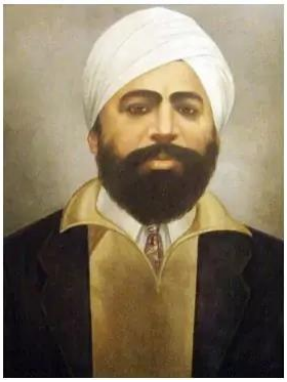

- 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के सुनाम में जन्मे उधम सिंह एक प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी थे।
- वे जलियाँवाला बाग हत्याकांड और ननकाना साहिब त्रासदी से गहराई से प्रभावित थे।
- **वे प्रवासी भारतीयों के एक क्रांतिकारी समूह, ग़दर पार्टी के सक्रिय सदस्य बने।**
- **बाद में, उन्होंने आज़ाद पार्टी नामक अपना स्वयं का समूह स्थापित किया।**
- वे भारतीय क्रांतिकारियों की सहायता के लिए हथियारों की तस्करी के लिए जाने जाते थे और वैचारिक रूप से भगत सिंह से प्रभावित थे।

जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव -

- **13 अप्रैल 1919** के नरसंहार ने उन पर गहरी छाप छोड़ी।
- यह ब्रिटिश क्रूरता का बदला लेने के उनके दृढ़ संकल्प के पीछे एक प्रेरक शक्ति बन गया।

बदला लेने का कार्य -

- **13 मार्च 1940 को लंदन में, उधम सिंह ने पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'डायर की हत्या कर दी।**
- ओ'डायर ने जलियाँवाला बाग हत्याकांड के दौरान जनरल रेजिनाल्ड डायर के कार्यों का बचाव किया था।

परिणाम और फांसी -

- उधम सिंह को **गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया** और बाद में **31 जुलाई 1940** को लंदन के **पेंटनविले जेल** में **फांसी दे दी गई।**

उनकी पहचान का प्रतीकवाद -

- **ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ सांप्रदायिक एकता** - हिंदू, मुस्लिम और सिख - का प्रतिनिधित्व करने के लिए विभिन्न उपनामों, विशेष रूप से **'मोहम्मद सिंह आज़ाद' का इस्तेमाल किया**।

स्रोत: पीआईबी

न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम, 1985

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम, 1985 का हवाला देते हुए आंतरिक जांच को चुनौती देने वाली न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

अधिनियम के बारे में -

- **लक्ष्य:** न्यायाधीशों को उनकी आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों के लिए कानूनी कार्रवाई से प्रतिरक्षा प्रदान करके न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करना।
- **उद्देश्य:** सिविल, आपराधिक और संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों को उनके कर्तव्य के दौरान किए गए न्यायिक कार्यों के लिए अनुचित मुकदमेबाजी से बचाना।
- **प्रमुख प्रावधान:**
    - **सिविल और आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति धारा-3**: कोई भी न्यायालय किसी न्यायाधीश के विरुद्ध उसके द्वारा न्यायिक कर्तव्य के निर्वहन में किए गए या किए जाने का आदेश दिए गए किसी कार्य के लिए कोई वाद या कानूनी कार्यवाही ग्रहण या जारी नहीं रखेगा, भले ही वह कार्य अधिकारिता से बाहर किया गया हो, बशर्ते कि वह सद्भावनापूर्वक किया गया हो।
    - **न्यायिक आदेशों के तहत कार्य करने वाले अधिकारियों तक विस्तार:** यह संरक्षण न्यायाधीश के आदेश के अनुसरण में कार्य करने वाले न्यायालय के कर्मचारियों या अधिकारियों को भी प्रदान किया जाता है।
    - **संविधान से परे संरक्षण: यह अनुच्छेद-121 और अनुच्छेद-211 से परे है**, जो अभियोजन से वैधानिक प्रतिरक्षा प्रदान करके, विधायिकाओं में न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा को प्रतिबंधित करता है।
    - **लागू होना:** यह उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों सहित सभी न्यायालयों के न्यायाधीशों, तथा मजिस्ट्रेटों और न्यायाधिकरणों पर भी लागू होता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव(DLI) योजना

संदर्भ

डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए 23 चिप डिजाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

योजना के बारे में -

- **लक्ष्य:** डिजाइन और परिनियोजन के विभिन्न चरणों में वित्तीय प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचे का समर्थन प्रदान करके सेमीकंडक्टर डिजाइन में घरेलू नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।
- **उद्देश्य:** सेमीकंडक्टर डिजाइन में शामिल कम से कम **20 भारतीय कंपनियों को समर्थन और पोषण प्रदान करना तथा उन्हें पांच वर्षों के भीतर 1,500 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हासिल करने में मदद करना**।
    - सेमीकंडक्टर सामग्री का महत्वपूर्ण स्वदेशीकरण संभव बनाना, आयात निर्भरता को कम करना तथा इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में मूल्य संवर्धन को बढ़ाना।
- **लक्ष्य क्षेत्र:** इंटीग्रेटेड सर्किट (IC), चिपसेट, सिस्टम ऑन चिप्स (SOC), सिस्टम और आईपी कोर, सेमीकंडक्टर-लिंक्ड डिज़ाइन
- **नोडल एजेंसी:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (**C-DAC**) कार्यान्वयन निकाय है।
- **पात्रता मानदंड:** भारतीय स्टार्टअप, एमएसएमई और सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में लगी घरेलू कंपनियों के लिए खुला।
    - आवेदकों को कम से कम तीन वर्षों तक घरेलू स्वामित्व का दर्जा बनाए रखना होगा।
    - वार्षिक प्रोत्साहन का दावा करने के लिए, कंपनियों को निर्दिष्ट सीमा बिक्री मानदंडों को पूरा करना होगा।
    - यदि कोई आवेदक किसी दिए गए वर्ष में शुद्ध बिक्री सीमा को पूरा करने में विफल रहता है, तो वह उस वर्ष के लिए प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होगा।
    - हालाँकि, यदि सीमा पूरी हो जाती है, तो वे योजना की अवधि के दौरान बाद के वर्षों के लिए पुनः अर्हता प्राप्त कर सकते हैं।

- **घरेलू स्वामित्व**: 50% से अधिक पूंजी का स्वामित्व निवासी भारतीय नागरिकों के पास होना चाहिए तथा भारतीय कम्पनियां अंततः उन्हीं के नियंत्रण में होनी चाहिए।

- **ज़रूरी भाग**
    - **चिप डिजाइन अवसंरचना सहायता:** ईडीए उपकरणों और डिजाइन अवसंरचना तक पहुंच प्रदान करने के लिए सी-डैक द्वारा इंडिया चिप सेंटर की स्थापना।
    - **उत्पाद डिज़ाइन लिंक्ड प्रोत्साहन:** उत्पाद विकास के विभिन्न चरणों को पूरा करने पर वित्तीय सहायता।
    - **तैनाती से जुड़ा प्रोत्साहन:** डिज़ाइन किए गए सेमीकंडक्टर उत्पादों की सफल तैनाती और व्यावसायीकरण पर आधारित प्रोत्साहन।

स्रोत: पीआईबी

समाचार संक्षेप में

पिपरहवा अवशेष

समाचार? बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरहवा अवशेषों का एक भाग माने जाने वाले आभूषण, जो हाल ही में सॉथबीज़ हांगकांग में नीलामी के लिए रखे गए थे, उन्हें भारत वापस लाया गया है।

इसके बारे में -

- इससे पहले भारतीय मंत्रालय ने सोथबी और विलियम क्लैक्सटन पेप्पे के परपोते क्रिस पेप्पे को भेजा गया एक पत्र पोस्ट किया था।
- विलियम क्लैक्सटन पेप्पे एक अंग्रेज एस्टेट मैनेजर थे, जिन्होंने 1898 में लुम्बिनी के ठीक दक्षिण में पिपरहवा (वर्तमान उत्तर प्रदेश) में एक स्तूप की खुदाई की थी, जिसे बुद्ध का जन्मस्थान माना जाता है।
    - खोज में लगभग 1,800 रत्न शामिल थे, जिनमें माणिक, पुखराज, नीलम और पैटर्नयुक्त सोने की चादरें शामिल थीं, जिन्हें एक ईंट कक्ष के अंदर संग्रहीत किया गया था।
    - अस्थि अवशेष स्याम के बौद्ध राजा (राम पंचम) को उपहार स्वरूप दिए गए थे।
    - 5 अवशेष कलश, एक पत्थर का संदूक और अधिकांश अन्य वस्तुएं कोलकाता स्थित भारतीय संग्रहालय में भेज दी गईं, जिसे उस समय कलकत्ता का इम्पीरियल संग्रहालय कहा जाता था।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

सिम्बेक्स-25(SIMBEX-25)

समाचार? भारतीय नौसेना का जहाज सतपुड़ा सिम्बेक्स के 32वें संस्करण में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंच गया है।

सिम्बेक्स (सिंगापुर-भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास) के बारे में -

उत्पत्ति: **1994 में शुरू** किया गया सिम्बेक्स भारत का किसी भी देश के साथ सबसे लम्बा निर्बाध नौसैनिक अभ्यास है।

- **उद्देश्य**: भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य नौसेना (आरएसएन) के बीच अंतर-संचालन को बढ़ाना, आपसी विश्वास को मजबूत करना और नौसैनिक संचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करना।
- **प्रारूप**: प्रतिवर्ष दो चरणों में आयोजित:
    - **बंदरगाह चरण**: इसमें विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान-प्रदान (एसएमईई), परिचालन-स्तर की चर्चाएं, पेशेवर बातचीत और जहाज दौरे शामिल हैं।
    - **समुद्री चरण**: इसमें जटिल समुद्री अभ्यास जैसे वायु रक्षा, क्रॉस-डेक हेलीकॉप्टर संचालन, वीबीएसएस (विजिट, बोर्ड, सर्च एंड सीजर), सटीक लक्ष्यीकरण और सामरिक युद्धाभ्यास शामिल हैं।
- **महत्व:**
    - यह हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सुरक्षा के लिए बढ़ते समुद्री सहयोग और साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
    - यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति और समुद्री दृष्टिकोण, महासागर के अनुरूप है।
    - पारस्परिक सम्मान, व्यावसायिकता और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था के प्रति पालन को प्रदर्शित करता है।

स्रोत: पीआईबी

अभ्यास दिव्य दृष्टि

समाचार? भारतीय सेना ने हाल ही में **'अभ्यास दिव्य दृष्टि' का आयोजन किया**।

दिव्य दृष्टि अभ्यास के बारे में -

- **यह पूर्वी सिक्किम क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक उच्च-ऊंचाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास है।**
- इसका उद्देश्य **युद्धक्षेत्र जागरूकता**, **वास्तविक समय निगरानी** और **त्वरित निर्णय लेने** के उद्देश्य से **उन्नत प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करना था**।
- इस अभ्यास का लक्ष्य व्यावहारिक युद्धक्षेत्र स्थितियों में एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों को नियोजित करने में भारतीय सेना की युद्ध तत्परता और दक्षता का आकलन करना था।

स्रोत: इंडियनएक्सप्रेस

रिंग ऑफ फायर(अग्नि वलय)

समाचार? हाल ही में रूस के सुदूर पूर्वी हिस्से में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप का केंद्र प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग (या अग्नि वलय) में था।

रिंग ऑफ फायर के बारे में -

- **यह प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला एक क्षेत्र है, जो सक्रिय ज्वालामुखियों और बार-बार आने वाले भूकंपों के लिए जाना जाता है।**
- दुनिया के लगभग 80% भूकंप रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आते हैं (जैसे – 2004 का हिंद महासागर भूकंप या उत्तरी सुमात्रा भूकंप, 1964 का अलास्का भूकंप, और 2011 का जापान भूकंप), और पृथ्वी के 75% सक्रिय ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में स्थित हैं।
- रिंग ऑफ फायर के कई ज्वालामुखी सबडक्शन प्रक्रिया (एक टेक्टोनिक प्लेट का दूसरी के नीचे धंसना) के कारण बने हैं।

इस बेल्ट में हाल ही में फटे ज्वालामुखी -

- माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी (इंडोनेशिया)।
- क्लाईचेव्स्कॉय (रूस, कामचटका प्रायद्वीप)
- शिनमोएडेके (किरीशिमा क्लस्टर, जापान)
- माउंट मरापी (सुमात्रा, इंडोनेशिया)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

संपादकीय सारांश

IMF के नवीनतम विश्व आर्थिक परिदृश्य से मुख्य निष्कर्ष

संदर्भ

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपनी नवीनतम **विश्व आर्थिक परिदृश्य (World Economic Outlook - WEO)** रिपोर्ट जारी की है, जिसमें **भारत की आर्थिक वृद्धि दर का पूर्वानुमान 2025 और 2026 के लिए बढ़ाकर 6.4% कर दिया गया है।**

WEO की मुख्य विशेषताएं -

- **प्रकाशक**: **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा जारी**, जिसके **191 सदस्य देश हैं**।
- **रिलीज़ आवृत्ति**: वर्ष में दो बार प्रकाशित: अप्रैल और अक्टूबर।
    - जनवरी और जुलाई में अद्यतन उपलब्ध कराए जाते हैं।
- **उद्देश्य:** वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए व्यापक आर्थिक विश्लेषण और पूर्वानुमान प्रदान करना।
    - नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और निवेशकों को आर्थिक प्रवृत्तियों और जोखिमों का आकलन करने में सहायता करता है।
- **फोकस क्षेत्र**:
    - वैश्विक जीडीपी वृद्धि अनुमान
    - मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के रुझान
    - मौद्रिक और राजकोषीय नीति दृष्टिकोण
    - ऋण स्तर और व्यापार प्रवाह
    - उभरते जोखिम, जैसे भू-राजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन, या कमोडिटी झटके।

IMF के जुलाई 2025 के विश्व आर्थिक परिदृश्य (WEO) से मुख्य निष्कर्ष -

- **वैश्विक अर्थव्यवस्था में कमजोर लचीलापन:** कई झटकों - महामारी, यूक्रेन युद्ध, व्यापार तनाव और टैरिफ वृद्धि - के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि जारी है।
    - 2025 के लिए वैश्विक विकास पूर्वानुमान 3.0% है, जो अप्रैल के अनुमान से थोड़ा अधिक है।
- **निरंतर अनिश्चितता बनी हुई है:** वैश्विक सुधार कमजोर है, क्योंकि:
    - अमेरिका के नेतृत्व में टैरिफ में वृद्धि संभव है।
    - भू-राजनीतिक तनाव (रूस-यूक्रेन, मध्य पूर्व)।
    - बढ़ते सरकारी ऋण के कारण वैश्विक ब्याज दरें बढ़ रही हैं।
- **विभिन्न क्षेत्रों में असमान विकास:**
    - नीतिगत अनिश्चितता के कारण 2025 में अमेरिकी विकास दर धीमी होकर 1.9% रहने की उम्मीद है।
    - चीन की वृद्धि दर 4.8% पर स्थिर बनी हुई है, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बड़ी वृद्धि है।
    - यूरोप और जापान में धीमी लेकिन सुधारशील वृद्धि देखी जा रही है।
    - भारत 6.4% की उच्चतम विकास दर के साथ विश्व में सबसे आगे है।

भारत के लिए निहितार्थ -

सकारात्मक दृष्टिकोण

- **उच्च विकास गति:** वैश्विक मंदी के बावजूद 6.4% की दर से भारत वैश्विक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण:** चीन के संबंध में अनिश्चितता और टैरिफ व्यवधान से भारत को लाभ हो सकता है, क्योंकि कंपनियां आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने पर विचार कर रही हैं।

- **पूंजी प्रवाह की संभावना:** भारत की सापेक्षिक समष्टि आर्थिक स्थिरता और वृद्धि इसे विदेशी निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाती है।

चुनौतियाँ और जोखिम -

- **बाह्य जोखिम:** उच्च वैश्विक ब्याज दरें पूंजी प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं और भारत की उधारी लागत बढ़ा सकती हैं।
    - भू-राजनीतिक अस्थिरता तेल और वस्तुओं की ऊंची कीमतों के माध्यम से आयातित मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है।
- **निर्यात मंदी:** विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कमजोर मांग से भारत के माल और सेवा निर्यात को नुकसान हो सकता है।
- **ऋण का फैलाव:** वैश्विक ऋण संबंधी चिंताएं और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों द्वारा सख्ती बरतने से राजकोषीय स्थिति और भारत के बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण पर असर पड़ सकता है।

भारत के लिए आगे की राह -

- आपूर्ति पक्ष सुधार, बुनियादी ढांचे में निवेश और व्यापार में आसानी जारी रखना।
- विनिर्माण और निर्यात विविधीकरण (पीएलआई योजनाएं, एफटीए) पर ध्यान केंद्रित करना।
- व्यापक आर्थिक स्थिरता (मुद्रास्फीति नियंत्रण, राजकोषीय विवेकशीलता) बनाए रखना।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस